FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No..... Dated..29.12.2021.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **18.405 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 171.00 से 206.00) लम्बाई 36.00 कि0मी0 **district Almora falls within jurisdiction Beena Gav, Pantgav, Amkholi, Dotiyal gav, Basoli, Bhakuna, Maichor, Kotyura, Shailguth, Nagarpalika, Pandeykhola Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **18.405** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure.....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जिला वन अधिकार समिति
अल्मोड़ा

(Vandana Singh)
District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No..... Dated...29.12.2021.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 18.405 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of N.H P.W.D. Ranikhet for the राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा– बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 171.00 से 206.00) लम्बाई 36.00 कि0मी0 **district Almora falls within jurisdiction Beena Gav, Pantgav, Amkholi, Dotiyal gav, Basoli, Bhakuna, Maichor, Kotyura, Shailguth, Nagarpalika, Pandeykhola Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **18.405** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ..... to annexure .....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Beena Gav, Pantgav, Amkholi, Dotiyal gav, Basoli, Bhakuna, Maichor, Kotyura, Shailguth, Nagarpalika, Pandeykhola** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला उपायुक्त कार्यालय अल्मोड़ा

(Vandana Singh)
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwer district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Miss. Vandana Singh, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date.27.12.2021...at time.4.30.P.M.at Almora in which application claiming rights **of Beena Gav, Pantgav, Amkholi, Dotiyal gav, Basoli, Bhakuna, Maichor, Kotyura, Shailguth, Nagarpalika, Pandeykhola** measuring **18.405 hac.**for the राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा– बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 171.00 से 206.00) लम्बाई 36.00 कि0मी0 of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0 170.00 से 206.00 तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा।

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0 170.00 से 206.00 तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल सिंह चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री गोपाल सिंह चौहान उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

2– श्री भूपाल सिंह बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– श्री शैलेन्द्र पाण्डे सहायक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हवालबाग, सदस्य/सचिव

4– श्री मित्र आर्या बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

5- श्री पुष्कर सिंह पिलखवाल

6- श्री हेमन्त सिंह सुयाल

7- सुनीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0 170.00 से 206.00 तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट– बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.505 है0**, वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर व जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– बीना

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 04.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम बीना गॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत बीना
वि0ख0 ताकुला (अल्मोड़ा)

दिनांक 04.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बीना

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	मनोज लाल साह	
2	प्यारे लाल साह	
3	हेम लाल साह	
4	पूरन लाल साह	
5	महेन्द्र कुमार टम्टा	
6	जगदीश प्रसाद	
7	मोहन लाल वर्मा	
8	दीपू लाल वर्मा	
9	ललित लाल वर्मा	
10	योगेश लाल साह	
11	बसन्त राम	
12	नाथू राम	
13	राजन राम	

ग्राम प्रधान

ज्योतिष्मती
प्रधान
ग्राम पंचायत बीना,
वि०ख० ... (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– जाखसौड़ा

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 19.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम जाखसौड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

धनादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जाखसौड़ा
वि0ख0-कफड़खान
वि0ख0-ताकुला(अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति
जाखसौड़ा-ताकुला (अल्मोड़ा)

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जाखमोड़ा

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1 –	पूरन सिंह / शेर सिंह	[illegible]
2 –	हरि सिंह / रणजीत सिंह	[illegible]
3 –	सुरेश राम / धरम राम	सुरेश राम
4 –	दीपक सिंह / रणजीत सिंह	दीपक सिंह
5 –	राम सिंह / [illegible] सिंह	राम सिंह
6 –	बिमला देवी / सुरेश सिंह	बिमला देवी

धनादेवी
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत जाखमोड़ा
पो०ओ०-कफड़खान
वि०ख०-लाकुवा (अल्मोड़ा)

(15)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– अमखोली

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 19.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम अमखोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत– अमखोली
वि०ख० ताकुला (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

दिनांक 19.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्रवल्लभ काण्डपाल	चन्द्रवल्लभ काण्डपाल
2	हुन्दा काण्डपाल	[illegible]
3	दीपक जोशी	दीपक जोशी
4	[illegible]	[illegible]
5	अमर राम	अमर राम

ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– बसौली

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 05.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम बसौली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
राधा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बसौली
वि.ख.–ताकुला (अल्मोड़ा)

दिनांक 05.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश सिंह नेगी	
	गंगा सिंह नेगी	
	नन्दन सिंह	
	नन्दी देवी	
	प्रताप चन्द्र सिंह	
	राजु नेगी	
	जगदीश नेगी	

ग्राम प्रधान
राधा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बसोली
वि०ख०-चकुता (बागेश्वर)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– मैचोड़

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 05.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम मैचोड़** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत मैचोड़
वि0 ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)

दिनांक 06.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रदीप मेहता	
	पंकज मेहता	पंकज मेहता
	कमलेश मेहता	
	श्याम सिंह	
	कुन्दन सिंह मेहता	
	सूरज मेहता	सूरज मेहता
	करन सिंह	करन सिंह
	दलीप सिंह मेहता	
	बहादुर सिंह मेहता	
	मदन सिंह मेहता	
	गोपाल सिंह मेहता	
	भूपाल सिंह मेहता	
	मनोज सिंह मेहता	
	मदपाल मेहता	
	कटोरा मेहता	
	बहादुर सिंह मेहता	
	प्रमोद मेहता	
	अर्जुन सिंह मेहता	
	पुष्कर सिंह	
	सावित्री सिंह	सावित्री सिंह

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत मैकोड
वि० ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– भेटुली

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 08.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम भेटुली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

महेश कुमार 2/09/2021

महेश कुमार
प्रधान
ग्राम–पंचायत भेटुली
पोस्ट–अयारपानी
वि0ख0 ताकुला (अलमोड़ा)

दिनांक 08.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत [illegible]

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	वीरेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]
2	मोहन सिंह	[illegible]
3	श्योमन सिंह	Shoyaman
4	दुर्गा राम	दुर्गाराम
5	पनीराम	पनीराम
6	दर्शन सिंह	[illegible]
7	कविराज सिंह	कविराज सिंह
8	सुन्दर सिंह	Sundar
9	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
10	राजन सिंह	RAJAN SINGH

ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– झाड़कोट

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 10.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम झाड़कोट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत–झाड़कोट
वि0ख0–ताकुला,अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

दिनांक ...10.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत झाड़कोट

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1 –	हेमा आर्या	हेमा आर्या
2 –	मोहन राम	मोहन राम
3 –	ओम प्रकाश	[illegible]
4 –	भुवन राम	
5 –	जगदीश राम	
6 –	बहादुर राम	

ग्राम प्रधान
हेमा आर्या
प्रधान
ग्राम पंचायत–झाड़कोट
वि0ख0–ताकुला,अल्मोड़ा

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– डोटियाल गांव

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.505 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 11.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम डोटियाल गॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत डोटियाल गॉव
वि0 ख0–ताकुला
जनपद–अल्मोड़ा

दिनांक 11.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत डोटियाल गाँव

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
क्र. 1 -	दरबान सिंह	Darwan
2 -	[illegible] सिंह	
3 -	सुरेन्द्र सिंह	
4 -		

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत डोटियाल गाँव
वि0 ख0–ताकुला
जनपद–अल्मोड़ा

परियोजना का नामः–राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर– गंगोलीहाट – बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – भैंसोड़ी

तहसील –अल्मोड़ा व जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0 170.00 से 206.00तक) रामेश्वर –गंगोलीहाट–बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर –ताकुला अल्मोड़ा मोटरमार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 है0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैंसोड़ी द्वारा दिनांक 21/02/21 ..को संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि/बेनाप भूमि में ग्राम पंचायत भैसोड़ी के कई निवासियों का पीढ़ियों से कब्जा है। इस बेनाप भूमि का उपयोग ग्रामीणों द्वारा घास, जलावनी लकड़ी, चारा एकत्रीकरण एवं गौचर हेतु सदियों से किया जाता रहा है। साथ ही कतिपय स्थानों में सामुदायिक एवं अन्य भवन/ढांचे/पेयजल लाइन निर्मित हैं। जिस कारण परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहित किये जाने से ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। बावजूद इसके चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया/प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम भैंसोड़ी के ग्रामवासियों को समुचित मुआवजा देने एवं पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पेयजल व्यवस्था सुचारू किये जाने की शर्त पर उक्त वनभूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

21/02/2021

प्रधान
ग्राम पंचायत भैसोड़ी
पो0 को0 – भैसोड़ी,
वि0 ख0–ताकुला (अल्मोड़ा)

दिनांक 21/02/2021........ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मैसोंडी

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
सुनील कुमार	मैसोंडी	[signature]
(सुनील कारकोटी)	"	[signature]

नीमा कारकोटी
ग्राम प्रधान 21/02/21
ग्राम पंचायत मसोंडी,
पो० ओ० - मैसोंडी,
वि० ख० - ताकुला (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– भकुना

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 15.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम भकुना** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
Manendra
प्रधान
ग्राम पंचायत भकुना
वि0ख0-ताकुला, अल्मोड़ा,

दिनांक 15.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत भूना

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	अर्जुन सिंह	Arjun
	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
	महेश सिंह	महेश सिंह
	मोहन सिंह	Mohan
	पंकज सिंह	Pankaj
	पान सिंह	पान सिंह
	दर्शन सिंह	Darshan
	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र
	खीम सिंह	Khim

ग्राम प्रधान
Rajendra
प्रधान
ग्राम पंचायत भूना
वि०ख०-तल्ला ... (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– कोटयूड़ा

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के (कि0मी0170.00 से 206.00तक) रामेष्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 है0 वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक 17.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कोटयूड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत कोटयूड़ा
वि० ख० [illegible]
जि० अल्मोड़ा

दिनांक ....17.01.2021. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश राम	हरीश राम
2	राजू आर्य	राजू आर्य
3	सुन्दर सिंह बिष्ट	सुन्दर सिंह बिष्ट
4	गोपाल सिंह	
5	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह

ग्राम प्रधान

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण(कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
वार्ड का नाम– एन.टी.डी.

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ~~ग्राम पंचायत~~ वार्ड एन.टी.डी. द्वारा दिनांक 20.09.2022 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड के व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~वार्ड~~ **नगरपालिका के** ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Verma
20/09/2022
~~ग्राम प्रधान~~ वार्ड
सभासद, एन.टी.डी.
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा

दिनांक 20.09.2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
~~वार्ड~~ नगरपालिका

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	Saurabh Verma	S.Verma

S.Verma
वार्ड मेम्बर
20/09/2022
सौरभ वर्मा
सभासद, एन.टी.डी.

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण(कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– घनेली

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घनेली ..... द्वारा दिनांक 19.9.22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम** घनेली **के** ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

रेखा आर्या दि 19-9-2022
प्रधान
ग्राम पंचायत–घनेली
वि0ख0–हवालबाग,अल्मोड़ा

~~ग्राम प्रधान~~

दिनांक 19.09.22 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	प्रकाश आर्या	प्रकाश आर्या

रेखा आर्या दि. 19-9-2022
प्रधान
ग्राम पंचायत घनेली
वि0ख0–हवालबाग,अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण(कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

वार्ड का नाम– पाण्डेखोला

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ~~ग्राम पंचायत~~ वार्ड पाण्डेखोला द्वारा दिनांक को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड के व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **वार्ड पाण्डेखोला के** ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सभासद
अमित साह
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

दिनांक 29.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
वार्ड पाण्डेखोला

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
	अमित साह	Amit

वार्ड मैम्बर
Amit
सभासद
अमित साह
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण(कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– बीना

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405है0 वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बीना ..... द्वारा दिनांक 18.10.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम** पंतगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ज्योति देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बीना,
वि०ख० ताकुला (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

दिनांक 18.10.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बीना

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	महेन्द्र कुमार टम्टा	महेन्द्र कुमार
(2)	Jagdish Sah	J. Sah
(3)	लक्ष्मण राम	लक्ष्मण राम
(4)	रविन्द्र सिंह सिरोड़ी	रविन्द्र सिंह
(5)	हीरा लाल साह	हीरालाल साह
(6)	जगदीश लाल साह	जगदीश साह
(7)	राजन राम	राजनराम
(8)	रमेश राम	रमेशराम

ज्योति देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बीना,
विकास खण्ड (मनोरा)
ग्राम प्रधान

परियोजना का विवरणः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण(कि0मी0 171.00 से कि0मी0 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– शैल

तहसील–अल्मोड़ा व जिला–अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 18.405 है0 वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शैल ग्रेट द्वारा दिनांक 01.10.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शैल गूँठ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

नोट. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल –
– वन भूमि वन पंचायत की भूमि हेतु –
– दिया जा रहा है।

प्रधान
ग्राम पंचायत शैल
वि० ख०–द्वाराहाट
जिला–अल्मोड़ा

दिनांक 01.10.25 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत शैल

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश चन्द्र तिवारी	
2	गिरीश चन्द्र तिवारी	

ग्राम प्रधान